मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
कार्यालय: टैगोर छात्रावास श्यामला हिल्स, भोपाल-462002
दूरभाष एवं फैक्स: 0755-2660461 **email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org**

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2023/ 113 दिनांक-14 .02.2023

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/संचालक/प्राचार्य,
(निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं)
मध्यप्रदेश।

विषय- प्रदेश के निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के आगामी ब्लॉक के अर्थात् सत्र् 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के शुल्क विनियमन के संबंध में।

***

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम-2007 के तहत गठित प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा प्रकाशित राजपत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2008 के विनियम की कंडिका 5 (1) में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं द्वारा संचालित एवं किसी नियामक/निकाय यथा एन.एम.सी., डी.सी.आई., एम.पी.एन.आर.सी., सी.सी.आई.एम., सी.सी.एच., पी.सी.आई., ए.आई.सी.टी.ई., एन.सी.टी.ई. एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया इत्यादि द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आगामी तीन साल के ब्लॉक अर्थात् **सत्र् 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26** के शुल्क विनियमन के संबंध में ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से **दिनांक 20.02.2023** से आवेदन पत्र आमंत्रित करती है।

संस्थायें प्रत्येक पाठ्यक्रम जिसकी शुल्क का विनियमन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है के लिये समिति की बेवसाईट www.afrcmp.org पर निर्धारित लॉगिन आईडी (यूजर आईडी) के माध्यम से आवेदन पत्र एवं निर्धारित प्रोफार्मा भरेगीं। संस्थायें शुल्क विनियमन हेतु निर्धारित परीक्षण/निरीक्षण शुल्क की राशि यू.जी. पाठ्यक्रमों के लिए रू. 50,000/- एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों के लिये रू. 25,000/- ऑनलाईन माध्यम से समिति, सचिवालय के बैंक खाते में जमा करायेंगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संस्था को प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रोसेसिंग शुल्क की राशि के अतिरिक्त पोर्टल/मेंटीनेंश शुल्क की राशि भी ऑनलाईन माध्यम से जमा कराया जाना है।

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा संस्था से वितीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के सी.ए. द्वारा अंकेक्षित आय-व्यय पत्रक **(Audited Balance Sheet)** यूडिन आई.डी. क्रमांक सहित तथा पत्रक के साथ, संस्था के लिए निर्धारित प्रपत्रों को पूर्णतया भरकर आवश्यक सह पत्रों के साथ उपरोक्त दिनांक तक संस्थाओं को शुल्क विनियमन से संबंधित प्रस्ताव वेबसाईट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। अंकेक्षित आय-व्यय पत्रक संस्था के अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर युक्त होना आवश्यक है।

निर्धारित शपथ-पत्र समिति, सचिवालय के पोर्टल से डाउनलोड कर रूपये 100/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर नोटराईज कराकर स्केन कॉपी को अपलोड करना आवश्यक है।

निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में संचालित स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के शुल्क विनियमन के लिए ऑनलाईन फार्म दिनांक 20.02.2023 से 30.04.2023 उपलब्ध रहेंगे।

संस्थाएं जिनके द्वारा पूर्व के ब्लॉक अर्थात् सत्र 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के शुल्क विनियमन हेतु निर्धारित परीक्षण/निरीक्षण शुल्क की राशि के साथ पोर्टल/मेंटीनेंश शुल्क की राशि तीन वर्ष के लिये ऑनलाईन के माध्यम से जमा करा दी गई है तो ऐसी संस्थाओं को परीक्षण/निरीक्षण शुल्क तथा पोर्टल/मेंटीनेंश शुल्क की राशि जमा नहीं करना है।

ऐसी संस्थायें जिनके द्वारा प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के अधिनियम के तहत संचालित पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व में अनुमोदन प्राप्त हुआ है, परन्तु इन पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का विनियमन समिति से नहीं कराया है, को आगामी ब्लॉक के शुल्क विनियमन हेतु फार्म भरने के पूर्व इस सचिवालय में संस्था में संचालित इन पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाईन फार्म भरने के संबंध में लॉगिन आईडी (यूजर आईडी) एवं पासवर्ड प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रियानुसार शुल्क विनियमन कराने की कार्यवाही करना आवश्यक है।

साथ ही ऐसी संस्थायें जिनके द्वारा प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के अधिनियम के तहत संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2023-24 से पाठ्यक्रम के संचालन का अनुमोदन प्राप्त हुआ है एवं ऐसी संस्थायें आगामी ब्लॉक के शुल्क विनियमन प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहती हैं, को भी इस सचिवालय में संस्था के इस पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाईन फार्म भरने के संबंध में लॉगिन आईडी (यूजर आईडी) एवं पासवर्ड प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्यवाही करना है।

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार शुल्क विनियमन हेतु संस्थाओं को समिति की वेबसाईट पर उपलब्ध प्रोफार्मा में ही समस्त जानकारियाँ भरना है। ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि वेबसाईट पर उपलब्ध फार्म के प्रिन्ट आउट निकालकर तत्संबंधित जानकारी भर लेंवे तथा पोर्टल पर अपलोड किये जाने वाले संलग्नकों को स्केन कर पीडीएफ में रख लेंवे ताकि ऑनलाईन फार्म भरने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। संस्थाओं को ऑनलाईन फार्म भरने के निर्देश भी वेबसाईट पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, संस्था इन निर्देशों को पढ़ लेंवे तथा उनका अवलोकन कर ऑनलाईन फार्म भरने की कार्यवाही करें।

निर्धारित दिनांक (पोर्टल पर ऑनलाईन) के पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जावेगा एवं एक्ट में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही संभावित है।

प्राय: यह देखा गया है कि संस्थाओं के नामों में भिन्नता होने के कारण काउंसिलिंग के समय एवं स्कालरशिप पोर्टल पर की जाने वाली प्रक्रिया सम्पन्न करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अत: ऐसी संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि अपनी संस्था का नाम संवैधानिक निकाय (ए.आई.सी.टी.ई., पी.सी.आई., एम.पी.एन.आर.सी., डी.सी.आई., एन.सी.टी.ई., बी.सी.आई. इत्यादि) द्वारा दर्शाये अनुसार नाम में आवश्यक संशोधन प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति से शीघ्र पूर्ण करावें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(डॉ. डी.ए. हिण्डोलिया)
सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

पृ.क्रमांक/सचि./ओएसडी/2023/ दिनांक- .02.2023

प्रतिलिपि-1. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. कार्यपालक निदेषक, क्रिस्प, भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पत्र को समिति, सचिवालय के वेबसाईट के होमपेज पर अपलोड करें तथा सत्र **2023-24, 2024-25 एवं 2025-26** के शुल्क विनियमन कराये जाने वाली संस्थाओं को ईमेल/एस.एम.एस. करते हुये उनके वेबपोर्टल पर उपलब्ध करावें।

सही/-
(डॉ. डी.ए. हिण्डोलिया)
सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

(प्रारूप)

//शपथ-पत्र//

मैं श्री..पुत्र श्री ....आयु.....................निवासी .... वर्तमान में समिति ....का अध्यक्ष/सचिव शपथपूर्वक निम्नानुसार कथन करता हूँ -

(1) यह कि मेरे द्वारा मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) तदोपरांत संशोधित अधिनियम, 2013 एवं अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद द्वारा सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं में शुल्क के विनियमन से संबंधित राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित भोपाल, मंगलवार दिनाक 15 अप्रैल 2008 एवं तत्पश्चात् जारी सभी संशोधनों को पूर्णतः एवं ध्यानपूर्वक पढ़ लिया एवं समझ लिया गया है जो कि समिति की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(2) यह कि मेरे द्वारा मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद द्वारा सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं में शुल्क के विनियमन से संबंधित राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित भोपाल मंगलवार दिनांक 15 अप्रैल 2008 के पृष्ठ क्रमांक 404 (3) कंडिका क्रमांक-23 के अनुसार **"उस दशा में जहाँ प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति यह पाती है कि उपरोक्त अनियमितता की मात्रा अत्यधिक है, जो फीस निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, तो प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति आवेदन को न मंजूर कर सकेगी और हमारी सोसायटी/ट्रस्ट/संस्था के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी कर सकेगी",** ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है एवं समझ लिया गया है।

(3) प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के द्वारा सत्र 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के शुल्क विनियमन कराये जाने से संबंधित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षर द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

(4) समिति सचिवालय द्वारा प्रेषित पत्रों के तहत दिये गये निर्देशों के अनुरूप संस्था द्वारा प्राप्त समस्याओं/शिकायतों में से समस्त समस्याओं/शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है एवं इसकी सूचना प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, सचिवालय को भेज दी गई है।

(शपथ ग्रहीता)

सत्यापन

यह कि मैं श्री ....पुत्र श्री..आयु..........शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि उपरोक्त कंडिका क्रमांक 1 से 4 तक दी गयी जानकारी मेरे कथन के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

(शपथ ग्रहीता)

टीप - उपरोक्त शपथ-पत्र को रू. 100/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पत्र पर टंकित करवाकर नोटराईज कराकर भेजें।